

प्रेषक,

एचडी० सिंह,

विदेश सचिव,

ठापुर शासन।

संग्रहीत,

विदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभियान,

उम्हो, लखनऊ।

नगरीय रोडगार एवं गरीबी

उन्नयन कार्यक्रम विभाग।

**विषय:** वित्तीय वर्ष 2015-16 में "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बहुल्य वस्तियों में इण्टरलाइंग, जाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना" के वायाच्चयन हेतु अनुदान संदर्भ ३७ के अन्तर्गत द्वितीय/अंतिम किशत की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1902/76/एफ/एवीएमवोटीवाई/2013-14, दिनांक ०१ अगस्त, 2015 के सन्दर्भ में नुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बहुल्य वस्तियों में इण्टरलाइंग, जाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना" दो वर्षान्त वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-३७ के अन्तर्गत जनपद-सहारनपुर की जागीगम राष्ट्रगम्भीर ०९ परियोजनाओं एवं जनपद-बहराइच की न००३००परि०, बहराइच व नानपारा तथा न००८चायत, जरवल की २१ परियोजनाओं अर्थात् उक्त दोनों जनपदों की विभिन्न अल्पसंख्यक बहुल्य विस्तरों में इण्टरलाइंग सड़क निर्माण कार्य से सम्बन्धित अल्प-असम कुल ३० परियोजनाओं हेतु शासनादेश संख्या-१२७/२३६३/६९-१-१४-५९(अ०सं०-३७)/२०१४, दिनांक ०२ दिसम्बर, २०१४ द्वारा ₹० ६११.९७ लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष परियोजना लागत का ५० प्रतिशत अर्थात् ₹० ३०५.९८५ लाख की धनराशि प्रथम किशत के रूप में जारी की गयी थी। अतएव वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-३७ में योजनावृत्तिगत प्राविधिक वजट से उक्त जनपदों में से केवल जनपद-बहराइच की न००३००परि०, बहराइच व नानपारा तथा न००८चायत, जरवल की १८ परियोजनाओं के कार्यों को पूर्ण करते हेतु संलग्न तालिका के स्तरभूत-६ में अंकित द्वितीय/अंतिम किशत की धनराशि ₹० १३४.८१५ लाख (रुपये एक करोड़ छहतीस लाख इक्यासी हजार पाँच सौ मात्र) की विव्लतिहित शर्तों/प्रतिवर्त्यों के अंतर्गत को राज्यपाल ग्रहण्य सहज स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

५. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-३२/६९-१-१३-१४(३१)२०१२टीसी, दिनांक १६ जनवरी, २०१३ में दिये गये दिशा-निर्देश/ट्यूबस्था का पूर्णस्पैण अनुग्रहन करते हुए की जायेगी।
६. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करते से पूर्व वित्तीय हस्ताक्षितका खण्ड ६ के अध्याय-१२ के प्रस्तर-३१८ में घोषित ट्यूबस्था के अनुसार प्रायोजना पर सकाम स्तर से लकड़ीकी स्थीकृति अवश्य प्राप्त कर ती जायेगी तथा सकाम स्तर से लकड़ीकी स्थीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिवर्त्यों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की

१५. गो, जाति के सम्बन्ध में अंत वह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य क्रमशः इस प्रकार उपलब्ध करेंगे। उनमें से एक या दो साथ से ही लिखीरित राजद मीमा में पूछा हुआ जो ऐसा बहुत लाज लाया जाना। (वित्तीय विवरणों को नीचे संक्षिप्त रूप से)
३. उपलब्धराशि यथा समय सम्बन्धित दृढ़ा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध कराएं जायें। सम्बन्धित दृढ़ा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी प्रियांग से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
  ५. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दरा ने उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी एकल का व्यावर्तन अनुमत्य नहीं होगा। शासी/उपकरणों का व्यय वित्तीय जिम्मों के अनुसार किया जायेगा।
  ६. स्वीकृत की जा रही धनराशि दैक/डाकधर/डिपार्टमेंट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमात्र आहरित न कर उपराशकतानुसार माहरित कर व्यय की जायेगी।
  ७. उक्त जायोजना वो आवाजों को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने वाले पूर्ण वित्तीय विवरणों में संश्या/सम्बन्धित दृढ़ा का होगा।
  ८. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय इस्तमालितिका के सुसंगत प्रादिधार्य/समय-समय पर शासन द्वारा निर्मित शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
  ९. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक ०४.०४.२००३ के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधिकों को कम करके लागत अंकित नहीं की गई है।
  १०. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित दृढ़ा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगा। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजना लार्गेटरीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्तर से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्भिजित है। जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की रियाति में स्वीकृत धनराशि उत्तम राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
  ११. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरापुि/पुलरावृति न हो, यह सूडा/दृढ़ा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  १२. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभियान, ३०५०, लखनऊ द्वारा संचित/प्रमुख सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्नति कार्यक्रम विभाग, ३०५० शासन के प्रतिहस्तानरोपरान्त किया जायेगा।
  १३. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, दृष्टान्तादि को आदेश की प्रसि के साथ कोषागार का नाम, दाउचर संछय, लिथि तथा लेखाशीर्पक की सूचना एक दर्पण के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
  १४. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। लिखीरित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
  १५. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितवी ३१ मार्च, २०१६ तक व्यय हो सके।

2. अमर्याल नगर का ३ फेब्रुअरी २०१५ के अनुदात सेवकों के अनुसार गोलीबाजी, प्रतिवेशीन बाजार व अपवाहनीय से संबंधित "एस. एस. विकास आयोगनगर-०८-४-५-७" वारितर्थी का विकास ०५१-क्षेत्रीय उच्चाधिकारी विवरणों तथा अल्पसंख्यक वाहन्य वरितर्थी में संपर्कों रिकॉर्ड/एप्टरनोटेक्स गाली ३५४ का नामग्रन्थ-३० में लैगत पारेस्मानियों के सूचन हेतु अनुदात के दायरे आगैगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय लाय राष्ट्र्य-२, २०१५, वी १-९२५/दस-२०१५-२३१/२०१५, दिनांक ३०.०३.२०१५ व समय समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।  
मुख्यमन्त्री: यथोत्तम।

भवदीप  
(एच०पी० शिंह)  
विशेष सचिव।

संख्या-१७८/२०१५/२०९७(१)/६३-१-२०१५ तितिंका।

प्रतिवेशी, विद्वत्सिवित को सूचनाएँ एवं आवागत कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा पाद हजारी), प्रभास, ३०४०, २० सरोहनी जोड़, शार्म, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय लिपि लेखा परिषद विभाग, ३०४०, छूलां ताल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्नति कार्यक्रम विभाग, ३०४० शासन।
4. जिलाधिकारी/मण्डल, जिला नगरीय विकास आंशिकण, बहराही।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जगहार भवन, लखनऊ।
6. वित्त (ई-४) अनुभाग, ३०४० शासन।
7. प्रियोजन अनुभाग ४, ३०४० शासन।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभियान, ३०४०, लखनऊ।
9. सहायक विवरण, सुझा वाला विद्वानीय विवरान्त पर अप्लोड कराये हेतु।
10. गाँड़ फाइल/कानूनी राष्ट्रक/वत्त राजनीतिक।

आज्ञा से,  
(एच०पी० शिंह)  
विशेष सचिव।

http://

क्र. सं.	प्रति नं.	दिनांक/ वर्ष वार्ष	प्रति नं. वर्ष वार्ष	प्रति नं. वर्ष वार्ष	प्रति नं. वर्ष वार्ष	दिनांक/ वर्ष वार्ष
१	२	३	४	५	६	७
१	बहराड़व	बहराड़व	मो० अम्बाड़वा में आदि के मकान से सदूँ आदि के मकान तक एवं आन्तरिक गतियों में इंटरलाइंग सड़क एवं जाती निर्माण कार्य।	१०.५९	५.२९५	
२	बहराड़व	लड़व	मो० सलारगंज हसन नगर में फूले के मकान से गौरा थादा मन्दिर तक एवं आन्तरिक गतियों इंटरलाइंग सड़क एवं जाती निर्माण कार्य।	१२.२१	६.१०५	
३	बहराड़व	लड़व	मो० सलारगंज हसन नगर में बड़यारी के मकान से जीत के मकान तक एवं आन्तरिक गतियों में इंटरलाइंग सड़क एवं जाती निर्माण कार्य।	१४.१९	७.०९५	
४	बहराड़व	लड़व	मो० सलारगंज नगृ हासन में राजकुमार गुप्ता के मकान से द्रगाड़ी शाह यादा की भजार तक एवं आन्तरिक गतियों में इंटरलाइंग सड़क एवं जाती निर्माण कार्य।	२४.६९	१२.३४५	
५	बहराड़व	लड़व	मो० पल्लरी बाग में कल्नू की दुकान से नवी शेर आदि के मकान तक एवं आन्तरिक गतियों में इंटरलाइंग सड़क एवं जाती निर्माण कार्य।	१०.७०	५.३५	
६	बहराड़व	लड़व	मो० पल्लरी में शब्दीर के मकान से शब्दी, रेनू आदि के मकान तक आन्तरिक गतियों में इंटरलाइंग सड़क एवं जाती निर्माण कार्य।	१६.३४	८.१७	
७	बहराड़व	लड़व	मो० दरगाह शरीफ में निकाह घर के सामने से फैज अली आदि के मकान तक एवं आन्तरिक गतियों में इंटरलाइंग सड़क एवं जाती निर्माण कार्य।	१४.५२	७.२६	
८	बहराड़व	लड़व	मो० दरगाह शरीफ में दिलखाट के मकान से महबूब जाती आदि के मकान तक एवं आन्तरिक	१४.३९	७.१७५	